

## Laurel Organics Ltd.

Regd. Office/Works : Village Bhondsi, Tehsil Sohna, Distt. Gurgaon-122102(Hr) Telephone : 91 (0124) 2979015 E-mail :laurelorganicslimited@gmail.com, Web : www.laurel.co.in CIN NO. : L24239HR1993PLC032120

Ref: Laurel/Sec/2017-18/083

October 26, 2017

The Secretary The BSE Limited, Mumbai New Trading Ring, 14<sup>th</sup> Floor, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001

Scrip Code: 530313

124

SUBJECT: COMBINED PUBLISHED NOTICE OF THE MEETINGS THROUGH ADVERTISEMENT TO BE CONVENED AS PER THE ORDER FROM HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH ON PROPOSED SCHEME OF ARRANGEMENT FOR AMALGAMATION UNDER SECTION 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

(

Dear Sir,

In compliance with provisions of Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Compromise, Arrangements, and Amalgamations) Rules, 2016, and as per the Order/ direction of Hon'ble NCLT Chandigarh Bench, on the proposed Scheme of Arrangement for Amalgamation of Kimia Biosciences Limited (referred to as Transferor/ Applicant No. 1 Company) with Laurel Organics Limited (referred to as Transferee/ Applicant No. 2 Company), please find attached herewith, soft copy of the Combined Newspaper Advertisement of the Notice by Applicant Companies published in Indian Express (English, Delhi NCR Editions) and Jansatta (Hindi, Delhi NCR Edition) on October 26, 2017 and request you to put the same on your website as per Hon'ble NCLT Orders.

Kindly take the same in your records.

Thanking You,

Yours faithfully, For LAUREL ORGANDES LIMITED Pratibha Anano (Company Secretary) M. No. A35016

#### TODAY'S AGENDA-QUALITY

### HARYANA House passes Bill to acquire land for govt projects, Oppn walks out

#### **EXPRESS NEWS SERVICE** CHANDIGARH. OCTOBER 25

THE HARYANA government has decided to compulsorily take possession of the land of an unwilling owner for a government project where 70 per cent of the land has already been acquired by exchanging the property holder's plot with another piece of land or suitably compensating him.

The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provision) Bill, 2017 was passed by the state Assembly on Wednesday even as opposition parties – Congress and INLD - staged a walkout, accusing the BJP-led government of giving "undue advantage" to private players. However, the Manohar Lal Khattar-led government rubbished the charges.

The Bill was tabled in the Assembly on the last day of the three-day Winter Session along with six other bills.

It read: "Where the state government or any agency owns or has purchased 70 per cent or more land of the total project in a particular area falling in one or more revenue estates and remaining is left out pockets of private land, the state government may consolidate the total project land to ensure the viability of such project."

# **Raje Govt tables Bill on 5% quota** to Gujjars, others; crosses ceiling

#### **HAMZAKHAN JAIPUR. OCTOBER 25**

THE VASUNDHARA Raje government on Wednesday tabled a Bill to provide 5 per cent reservation to Gujjars and four other castes which, if passed by the Assembly, would take reservation up to 54 per cent in the state, flouting the 50 per cent ceiling set by the Supreme Court.

The move comes after the Rajasthan High Court in December last year struck down five per cent reservation for these castes provided through The Rajasthan Special Backward Classes Act, 2015.

Rajasthan faces elections a little over a year from now.

Guiiar leaders expressed their unhappiness with the Bill, calling it a "lollipop, which will again be challenged in the high court."

The Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointment and Posts in Services under the State) Bill, 2017, seeks to provide 5 per cent reservation to Banjara, Baldiya, Labana; Gadiya Lohar,

Gadoliya; Gujar, Gurjar; Raika, Rebari, Debasi and Gadariva. Gadri, Gavari.

The five castes supposed to

Vasundhara Raje

benefit under the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointment and Posts in Services under the State) Bill, 2017, are the Banjara, Gadiya Lohar, Gujjar, Raika and Gadariya.

Currently, reservation in Rajasthan stand at 49 per cent -21 per cent for OBCs, 16 per cent for SCs, and 12 per cent for STs. With the 2015 SBC Act, the government had moved the five castes from OBC into a separate Special Backward Castes category.

However, the Act was quashed and the government moved them back into the OBC list on May 19 this year.

While striking down the

#### last year, the High Court pointed out several flaws in the government's process of granting reservations. It observed that reservation should not be provided "to achieve political goals" and that " it is not that the Gujjars/Gurjars and others had no representation either for admission in the educational institutions or in services." It also said that the state had failed to justify exceeding of the 50 per

Special Backward Classes Act

The government said that since the main reason behind striking down of the SBC Act were deficiencies in the state SBC commission's report, the state government had appointed a committee led by retired High Court judge Sunil Kumar Garg that submitted its report to the SBC Commission

July 16.

According to the government, both the committee and the commission "unequivocally recommended" that these castes should be categorised as a separate class of "More Backward Classes" (MBCs) and should be provided 1 per cent reservation

from within the limit of 50 per cent and 4 per cent from beyond

However, Samta Andolan Samiti (SAS) state president, Parashar Narayan Sharma, said the government's move is in direct contempt of the Supreme Court.

down the 2015 SBC Act, the state approached the apex court earlier this year. But the apex court did not grant them relief and instead directed them to maintain the status guo with 49 per cent reservation," Sharma said.

Gujjar leaders expressed their dissatisfaction with the Bill. Terming it a "lollipop", Rajasthan Gujjar Aarakshan Sangharsh Samiti leader Himmat Singh Gujjar said that

"the government did not go by as per our agreement." Kirori Singh Bainsla, who led the Gujjar reservation agitation in 2007, told The Indian Express: "We are unhappy with the Bill in its current form but let us hope for the best on

Thursday." Chief Minister Vasundhara Raje is scheduled to move a motion in the House on Thursday to pass the Bill.

परिवहन विभाग ( नियामक शाखा )

कार्यालय परिवहन आयुक्त, हरियाणा

30 बेज बिल्डिंग, दूसरा तल, सैक्टर-17बी, चंडीगढ़-160017

MHA to challenge CAT relief to **Rajnish Rai** 

#### **EXPRESS NEWS SERVICE** NEW DELHI, OCTOBER 25

THE MINISTRY of Home Affairs is set to challenge an order of the Hyderabad Central Administrative Tribunal (CAT) that stayed an inquiry against Gujarat cadre IPS officer Rajnish Rai.

The ministry had initiated action against Rai in August over his report against top officials of the Uranium Corporation of India Ltd (UCIL), Jaduguda, when he was posted as chief vigilance officer in 2015. Rai is currently on central deputation in Chitoor, Andhra Pradesh, with the CRPF.

A senior ministry official said. "We have received the CAT order which is being examined and it will be challenged before the Andhra High Court."

Rai, who probed the Sohrabuddin Sheikh encounter case leading to the arrest of several police officers, including D G Vanzara, was transferred to Jaduguda as chief vigilance officer on central deputation in 2014. After a legal battle in 2015, the Centre transferred him to Shillong as IG, North Sector, CRPF. In June, he was transferred to CRPF's Counter Insurgency and Anti Terrorism School in Chitoor.

हस्ता./

परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

## PM to visit IAS academy in Mussoorie today

#### **EXPRESS NEWS SERVICE** DEHRADUN, OCTOBER 25

EXPRESS NETWORK

PRIME MINISTER Narendra Modi will arrive on a two-day visit to Mussoorie on Thursday to interact with trainee IAS officers at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LB-SNAA). He will address the trainee officers and also perform yoga with them.

While officials remained tight-lipped on the details of the Prime Minister's programme at

the IAS academy, sources in the administration said he will arrive in Mussoorie in the afternoon and head to LBSNAA, where, after interacting with the faculty and trainee officers, he will attend a cultural show.

11

On Friday morning, Modi will perform yoga with the trainee officers and Kendriya Vidyalaya students. Later in the day, he will lay the foundation stone of a new hostel building within the academy. He will also lay the foundation stone of a synthetic athletics track.

#### EMPLOYMENT NOTICE EX-SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME STATION CELL AMBALA

ECHS, Stn Cell Ambala-133001, invites applications to engage following staff on temporary asis for its polyclinics for a period of 12 months, renewable for additional period : Post Med Spl - 03 (Sonepat, Yamunanagar & Karnal). Gynaechologist - 01(Sonepat) Radiologist - 01 (Sonepat). Med Offrs- 04 (02 for Ambala thr vac ex Karnal and Gohana, 01 or SEMO MH Ambala thr vac ex Kharkhoda and 01 for Nahan). Dental Offr -02 (01 for Imbala tfr vac ex Sonepat & 01 for Kharkhoda). Nursing Assistant -02 (Ambala and (harkhoda), Lab Asst- 01 (Kharkhoda), Dental Hyg-01 (Ambala), Driver-02 (Kurukshetra and Kharkhoda). Peon -01 (Kaithal). Female Attendant -02 (Kharkhoda and Gohana Safaiwala - 01 (Nahan)

Post (Reserved Vac for Ex-Servicemen), Med SpI-02 (Sonepat and Ambala). Med Offr 03 (Ambala, Panipat and Kurukshetra). Dental Offr -03 (Sonepat, Yamunanagar and Kaithal). Dental Tech-01 (Sonepat). Lab Tech - 02 (Ambala and Gohana). Lab Asst-01 Ambala)

Notes (a) For terms/conditions, application form, remuneration see websit www.echs.gov.in.

b) Last date of receipt of application is 20 Nov 17. Application with attested copies of a ocument is required in duplicate. Documents required to be attached with application are (i atriculation cert (ii) Degree/diploma whatever is applicable (iii) Experience certificate (iv opy of PPO (for ESM) (v) Appx to AO 135/78 duly signed (for ESM Offr) (vi) Copy of discharge book (for ESM) (vii) character Certificate. Application with incomplete documents will be ejected during screening of documents by the Board of Officers.

On line /Lack in QRs/incomplete applications will not be entertained nterview will be conducted at Station Cell (ECHS), Ambala Cantt at 1000h as under:

27 Nov 17 — All Medical/Dental officer.

28 Nov 17 — All Para medical/Non Para medical staff. (e) Original documents will be checked during interview. TA/DA not admissible. For any query contact Tele No-01712631162. NS Negi) Lt Col OIC ECHS for Stn Cd





Public Enterprises Selection Board

invites applications for the post of

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR



on July 10 this year. The Commission then submitted its final report on

## the limit.

"After the High Court struck

"The projects are sometimes	
held up because a few landown-	
ers are not willing to sell their	
lands. In such cases, it may be nec-	
essary to compulsorily exchange	
some of the land so purchased for	
the project or to suitably compen-	
sate the owners of the left out	
pieces of land," added the Bill.	
As per the statement of ob-	

jects of the Bill, "No civil court shall have any jurisdiction to entertain or decide any question relating to matters falling under this Act.

#### VARUN MERCANTILE LIMITED

Regd. Office: 506, Chiranjiv Towers, 43, Nehru Place, New Delhi - 110 019 CIN: L51909DL1985PLC020108 Website: www.vml.org.in

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 2nd November, 2017 at Mumbai, to inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter / half year ended 30th September, 2017.

This intimation is also available on the Company's website at www.vml.org.in and on Stock Exchange website at www.bseindia.com.

Pursuant to this, the trading window for dealing in the equity shares of the Company under the Company's "Code to Regulate, Monitor and Report Trading" shall remain closed from 06:00 p.m. on Wednesday, 25th October, 2017 upto 48 hours after the results are made public on Thursday, 2nd November, 2017.

By order of the

Place : Mumbai Foru Dated: 25.10.2017 Company Se



#### UNIVERSITY GRANTS COMMISSION Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Website : http://www.ugc.ac.in ज्ञान-विज्ञान विमुळाचे

No. F. 2-2/1996(Admn I/c) Dated :26.10.2017 PUBLIC NOTICE

A Charge sheet was issued to Sh. Mahinder S/o Late Sh. Rame working as Multi Tasking Staff (MTS) in University Grants Commission, New Delhi Vide Memorandum No. F.2-2/1996 (Admn. I/c) date 08.03.2016 for his premeditated absence from duty from 10.01.2014 onwards. Ex parte Enquiry was conducted by the Inquiry Officer appointed by the Disciplinary Authority. Based on the findings of Inquiry Officer, Disciplinary Authority took the decision to impose a penalty of dismissal of service upon Sh. Mahinder S/o Late Sh. Rame. Sh. Mahinder, MTS was intimated vide this office Memorandum No. F. 2-2/1996(Admn. I/c) dated 25.05.2017 at his last known address at Quarter no. J-435, Sewa Nagar, New Delhi about the proposed penalty and he was given an opportunity to represent against this proposed penalty before issue of final order. But this communication could not be delivered to him inspote of best efforts.

Through this Public Notice, Sh. Mahinder S/o Late Sh. Rame is given an opportunity to collect the OM dated 25.05.2017 as refereed above, within a period of 15 days from the date of publication of this Public Notice during working hours and represent against the proposed penalty, if he wishes to do so, within fortnight of collection of the said office memorandum

Board Sd/- Im Shah ecretary Sh. Mahinder S/o Late Sh. Rame, Quarter No. J-435, Sewa Nagar, New Delhi	
ecretary	_

#### (Dr. Ajay Kumar Khanduri) Deputy Secretary





#### INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR. RAVENSHAW UNIVERSITY, CUTTACK, ODISHA

Applications are invited from eligible candidates below 62 years of age as on 31.12.2017 for the position of Vice Chancellor Ravenshaw University, Cuttack, Odisha for appointment by the Chancellor as per Section 10 of the Ravenshaw University Act-2005. The term of office of the Vice Chancellor shall be for a period of three years or till attaining the age of 65 years whichever is earlier.

ई-मेलः stcharyana@hry.nic.in. वैबसाईटः www.haryanatransport.gov.in दुरभाष: 0172-2784359, फैक्स: 0172-2700510

#### सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17/10/2011 3टी, दिनांक 20.06.2017 के द्वारा प्रकाशित स्टेज कैरिज स्कीम के प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्तियों/सझावों की सनवाई अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य दिवसों को नव सचिवालय, सैक्टर-17ए चंडीगढ़ की छठी मंजिल के सभा कक्ष में 07.11.2017 से 10.11.2017 एवं 13.11.2017 से 15.11.2017 तक प्रतिदिन सुबह 11.00 बजे से की जाएगी:-

आपत्तियों⁄सुझावों की सुनवाई की तारीख
07.11.2017
08.11.2017
09.11.2017
10.11.2017
13.11.2017
14.11.2017
15.11.2017

सुनवाई के इच्छुक व्यक्ति निश्चित तिथि/ समय पर उपरोक्त वर्णित स्थान पर सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

56758/HRY

#### IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENCH AT CHANDIGARH, COMPANY APPLICATION CA(CAA) No. 15/Chd/Hry/2017 IN THE MATTER OF: SECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013

AND IN THE MATTER OF:

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED Having its registered office at Village Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon, Haryana - 122102 .....TRANSFEROR COMPANY (APPLICANT COMPANY-1)

#### AND

LAUREL ORGANICS LIMITED Having its Registered Office at Village Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon, Haryana – 122102 .TRANSFEREE COMPANY (APPLICANT COMPANY-2)

NOTICE CONVENING THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS (INCLUDING POSTAL BALLOT & E-VOTING) AND UNSECURED CREDITORS OF THE TRANSFEREE COMPANY AND SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF THE TRANSFEROR COMPANY

Notice is hereby given that by the order of Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench at Chandigarh, Order dated 26th September, 2017(the "Order") issued on 11th October, 2017 has directed meeting of Equity shareholders and Unsecured Creditors of the Transferee Company and Secured Creditors & Unsecured Creditors of the Transferor Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the scheme of Arrangement for Amalgamation between Kimia Biosciences Limited (Transferor Company) and Laurel Organics Limited (Transferee Company) and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under section 230-232 of the Companies Act, 2013.

In pursuance of the said order and as direction therein, further notice is hereby given that aforesaid meeting of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Transferee Company and Secured Creditors & Unsecured Creditors of the Transferor Company will be held as under, at which Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Transferee Company and Secured Creditors & Unsecured Creditors of the Transferor Company are requested to attend.

Sr. No.	Class of Meeting	Name of Applicant company	Date of Meeting	Time	Place of Meeting	
1.	Secured Creditors	Kimia Biosciences		10:00 A.M	Laurel Organics Limited	
2.	Unsecured Creditor	Limited Laurel Organics Limited	itor Limited Sunday	Sunday	11:00 A.M	Village Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon,
3.	Unsecured Creditor		26.11.2017	12:00 P.M (NOON)	Haryana – 122102	
4.	Equity Shareholders	Limited		2:30 P.M		

Copies of the said Scheme, the Explanatory Statement, under Sections 230(3), 232(1) and (2) and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the companies (Compromises , Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge within one (1) day (on all working days) on a requisition being so made for the same by the equity shareholders and Unsecured Creditors of the Transferee Company, Secured creditors and Unsecured Creditors of the Transferor Company at the registered office of the Applicant Companies as stated above or at the office of its legal representative, Corporate Professionals, Advisors and Advocates, D-28, South Extension -I, New Delhi -110049

Persons entitled to attend and vote at the meetings may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Companies as mentioned above, not later than Forty eight (48)hours before the scheduled time of the commencement of the aforesaid meetings. Forms of proxy can be obtained from the registered office of the Applicant Companies.

Notice is hereby given that in compliance with Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of National Fertilizers Limited is scheduled to be held at Noida (Uttar Pradesh) on Friday, 10th November, 2017, inter-alia to consider, approve and take on record the un-audited Financial Results of the Company for the guarter and half year ended 30th September, 2017, after these results are reviewed by the Audit Committee of the Board. Further, in terms of the code of Internal Procedures and Conduct for Prohibition of Insider Trading in dealing with the securities of National Fertilizers Limited, the Trading Window for transactions in the Securities of the Company shall remain closed from 3rd November, 2017 to 12th November, 2017 (both days Inclusive) for Insiders for the

purpose of announcement of aforesaid results. The said Notice may be accessed on the Company's website at www.nationalfertilizers.com and on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Sd/-Place : New Delhi (Raj Kumar) Dated : 25.10.2017 Company Secretary



#### [Rule – 8(1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the authorized officer of State Bank of India (Lead Bank) along with other consortium member Banks, who have given their consent to the Lead Bank, to initiate action under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices along with the amounts as detailed herein below, calling upon the borrower M/s Shakti Bhog Foods Ltd (Borrower/ Mortgagor), Sh. Kewal Krishan Kumar, Sh. Siddharth Kumar, Smt. Sunanda Kumar (Mortgagor(s)/Guarantor(s)), M/S Dash Exports Pvt. Ltd (Corporate Guarantor), Sh. Deshraj (Guarantor) to repay the amount(s) within sixty days of receipt of the said Notice(s):

Name of Banks	Date of Demand Notice	Amount Outstanding as Per Demand Notice
State Bank of India	22/11/2016 (for Cash credit and BG)	Rs. 777,90,80,685.72 as on 03/11/2016
State Bank of India	22/11/2016 (for Corporate Loan)	Rs. 141,07,92,731.24 as on 03/11/2016
Erstwhile State Bank of Patiala (now State Bank of India)	21/09/2016	Rs. 231,59,19,674.05 as on 08/06/2016
Erstwhile State Bank of Bikaner And Jaipur (now State Bank of India)	24/11/2016 (for Corporate Loan)	Rs. 19,59,76,714/- as on 23/11/2016
Erstwhile State Bank of Bikaner And Jaipur (now State Bank of India)	24/11/2016 (for Cash Credit)	Rs. 115,56,34,707/- as on 23/11/2016
Erstwhile State Bank of Hyderabad (now State Bank of India)	16/11/2016	Rs. 384,41,08,669.38 as on 31/10/2016
Erstwhile State Bank of Mysore (now State Bank of India)	04/11/2016	Rs. 222,58,53,063.38 as on 31/03/2016
Erstwhile State Bank of Travancore (now State Bank of India)		Rs. 270,14,58,206/- as on 30/11/2016
Erstwhile State Bank of Travancore (now State Bank of India)	09/01/2017 (for Corporate Loan)	Rs. 13,53,07,862/- as on 30/11/2016
Corporation Bank	25/05/2016	Rs. 2,70,92,06,840.15
Standard Chartered Bank	10/06/2016	Rs. 122,05,05,970 + USD 1,292,597.61
Punjab National Bank	30/11/2016	Rs.1769963314.03
Allahabad Bank	01/04/2017	Rs. 565168702.00
Laxmi Vilas Bank	30/03/2017	Rs. 695445251.42
Oriental Bank of Commerce	22/12/2016	Rs. 211466202.00
Bank of Baroda	16/12/2015	Rs 61,30,49,692
ICICI Bank	22/01/2016	Rs. 129039917.60 + Rs. 39631768.00 + US\$ 15526880.10
Indian Overseas Bank	19/11/2016	Rs 57.72 Crores
		and the second

The Applicant should be a distinguished academician of proven academic and administrative excellence, a well rounded personality with a minimum of 10 years experience as Professor in a University System or 10 years in an equivalent position in reputed research and / or Academic Organization.

The applicants are required to apply in the pro-forma provided and email a soft copy (in PDF format) to registrar@ravenshawuniversity.ac.in. The hard copy of the application, duly authenticated by the candidate on every page is to be sent to the Registrar, Ravenshaw University, College Square, Cuttack-753003, Odisha superscribing "Application for the post of Vice Chancellor, Ravenshaw University" on the top of the envelope through Registered or Speed Post or Courier Service on or before 25.11.2017 by 5.00 PM. Any application received after this date will not be considered. The candidates are required to submit information relating to any pending or disposed off enquiries and litigations involving them in the last 10 years (if any) along with the application. The in service candidates are required to send their hard copy of application through proper channel with a No Objection Certificate along with specific comments of the employer regarding the eligibility of the candidate, if any. However advance copy of the application must be submitted in time. Further details are available in the University website-"www.ravenshawuniversity.ac.in"

The applicants are required to submit the self-attested photocopy of the documents in support of the claiming in the application form's Point No-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10,11,12 and 15. In case of any information furnished by any candidate is found to be false or incorrect, the application of the concerned candidate will be liable for rejection. Any attempt of canvassing to motivate or influence any member of the Search-cum-Selection Committee in any manner will be viewed adversely which may lead to rejection of the candidature as an act of disqualification. details are available University Further in the website-"www.ravenshawuniversity.ac.in"

NCLT has appointed undersigned as Chairperson, Mr. Anmol Pratap Singh Mann, Advocate as alternate chairperson and Mr. Vikas Garg, Company Secretary as the scrutinizer of the said meeting of equity shareholders and Unsecured Creditors of the Transferee Company and Secured creditors and Unsecured Creditors of the Transferor Company. The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the NCLT. Further Notice is hereby given to the Equity Shareholders of the Transferee Company that:

- The Transferee Company has provided the facility of voting by postal ballot and e-voting so as to enable the equity shareholders, pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/16/2015 dated 30th November, 2015, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 and as per directions of Hon'ble NCLT vide order dated 26th September, 2017 on Company Application CA(CAA) No. 15/Chd/Hry/2017to consider and approve the Scheme. The Transferor Company and Transferee Company has also provided the facility of ballot or polling paper at the venue of the meeting. The Transferee Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating e-voting services;
- 2. The cut off date for determining the eligibility of the equity shareholders for voting through postal ballot or e-voting or voting at the venue of the meeting is Friday 20th October, 2017. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled for voting. Persons who are not equity shareholders of the Transferee Company as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- As per order of Hon'ble NCLT the cut off date for determining the eligibility of the secured creditors and unsecured creditors of the Transferor Company and Unsecured Creditors of the Transferee Company for voting at the venue of the meeting is 30th June, 2017;
- Voting through postal ballot and e-voting by the equity shareholders will commence at 9.00 AM on Friday October 27, 2017 and shall close at 5.00 P.M on Saturday November 25, 2017;
- 5. Duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer on or before 5:00 p.m. on Saturday November 25, 2017. Any postal ballot form received after 5:00 p.m. on Saturday November 25, 2017, shall not be considered and shall be treated as if the reply from the equity shareholders has not been received. Further e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on Saturday November 25, 2017 at 5:00p.m.
- 6 The Transferee Company shall be completing the dispatch of Notice along with the postal ballot form with instructions and a self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope amongst others, to the equity shareholders holding shares in either physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday 20th October, 2017 on 26th October, 2017.
- Equity shareholders who have not received the postal ballot form can either download the same from the website of the Transferee Company, www.laurel.co.in or obtain duplicate postal ballot from the registered office of the Transferee company as stated above:
- During the voting period, the equity shareholders can opt for only one mode for voting i.e. either by postal ballot or evoting. In case any equity shareholder cast the vote both via postal ballot and e-voting, then voting validly done through e-voting shall prevail. Equity shareholders who have cast their votes through postal ballot or e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again;
- Once the vote is cast by an equity shareholder, he or she will not be allowed to change it subsequently.
- 10. The Notice including the postal ballot and e-voting instructions are available on the company's website at www.laurel.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- In case of any query/grievance in relation to the voting by postal ballot may be addressed to Ms. Pratibha Anand, Company Secretary of the Transferee Company at Village Bhondsi, Tehsil- Sohna District Gurgaon, Haryana-122102, or through email to Company Secretary can also be contacted at laurelorganicslimited@gmail.com Phone- -Tel: 011-47063600; in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. Sd/-

Dated: 26th day of October, 2017 Place: Gurgaon

Justice (Retd.) A.N Jindal, Chairman for the Tribunal **Convened Meetings**  The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) above said having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) and the Public in General that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 4th, 10th and 11th day of October of the year 2017.

The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s)'s attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) above said in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of State Bank of India along with other consortium member Banks, for an aggregate amount as detailed hereinabove with further/un-realized/accrued interest and incidental expenses, costs and other charges, at contractual rate of interest.

Description of immovable property All that part and parcel of Property bearing: Residential Property at 61/15, Punjabi Bagh (West) admeasuring 547.22 sq yards,

New Delhi in the name of Sh. Kewal Krishan Kumar and Smt Sunanda Kumar

Commercial Property Situated at G-82, Main Road, Kirti Nagar, New Delhi, admeasuring 272 sq. yards, in the name of Sh. Kewal Krishan Kumar

Plot No. 7, Road No. 10, Adarsh Bhavan C.H.B.S. Limited, Punjabi Bagh, New Delhi admeasuring 166.71 sq. Mtrs., in the name of Sh. Siddharth Kumar

Property at Khasra No. 85/18/1 (1-16) and 85/19/3 (1-11), admeasuring 5566 sq. yards, located at Village Mundka, in the name of Sh. Siddharth Kumar

Along with hypothecation of all the present and future movable assets including all fixed assets, equipments, plant and machineries, tools, fixtures, fittings, sphere parts, accessories, any accretions, alterations, other merchandise and whatsoever being movable properties now or at any time hereafter belonging to the borrower or at the disposal of the borrower and now or at any time hereafter stored or to be stored or brought into or upon or in course of transit to the borrowers factory or premises or at any other place whatsoever and wheresoever in the possession and occupation or at any other premises or place, anywhere in india

Date: 11-10-2017, Place : Delhi

Authorized Officer, State Bank of India









12 जनसत्ता, 26 अक्तूबर, 2017

#### राष्ट्र भाजपा जम्मू में आज विलय दिवस को दिवाली की तरह मनाएगी महाराजा हरि सिंह ने इसी दिन भाजपा के राज्य प्रमुख सतपाल आबादी' की ताकत दिखाने की को इसे पूरे उत्साह और धूमधाम जम्मू, 25 अक्तूबर (भाषा)। भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के शर्मा ने लोगों से उत्साह के साथ भी अपील की, ताकि कुछ से मनाना चाहिए। भाजपा जिला भारतीय जनता पार्टी 26 विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर ' अलगाववादियों के नापाक इरादों इस उत्सव में शामिल होने की मुख्यालय में इसके लिए एक अक्तूबर को 'विलय दिवस' के किए थे। भाजपा इस दिन को को खत्म किया जा सके।' शर्मा ने भव्य आयोजन कर रही है जबकि अपील की है। इसके अलावा नई दिल्ली, 25 अक्तूबर (भाषा)। उन्होंने लोगों से 'राष्टवादी रूप में मनाएगी। 1947 में दिवाली की तरह मनाएगी। कहा, 'यह ऐतिहासिक दिवस कार्यक्रम इसका मुख्य विशालकाय परेड ग्राउंड में हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत सरकार वित्त मंत्रालय है और राज्य के प्रत्येक बाशिंदे आयोजित किया जाएगा।' कार्यालय वसूली अधिकारी-II ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली भारतीय स्टट बक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग,नई दिल्ली-110001 SB छठी मंजिल, मोहन सिंह प्लेस, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 ई-नीलामी बिक्री सूचना टी.आर.सी. नं. 117/2002 दिनांक 07.10.2017 फोन : 011-23741071, फेक्स: 011-23741076 नियम (8)1 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) बिक्री की उद्धोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत बैंक और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के ऋण वसुली के साथ पढा जावें। प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 के नं. 3) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक** (लीड बैंक) का प्राधिकृत ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम मैसर्स रीगल पॉलीमर्स लि. व अन्य अधिकारी होने तथा कन्सोटियम सदस्य बैंक, जिन्होनें अपनी सहमति लीड बैंक को दे दी है तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन सीडी नं. 1 : मैसर्स रिगल पॉलीमर्स लि., 154, अलीगंज प्रदत शक्तियो के अंतर्गत मैसर्स शक्ति भोग फूड्स लि. (कर्जदार / बंधककती), श्री केवल कृष्ण तृतीय तल, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली। सीडी नं. 2 : श्री संदीप आहजा, ए-53, न्यू फ्रेण्डस कॉलोनी, नई दिल्ली। कमार, श्री सिद्धार्थ कमार, श्रीमती सुनंदा कमार (बंधककर्ता / गारंटर), मैसर्स देश एक्सपोर्टस प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर), श्री देशराज (गारंटर) को मांग नोटिस निम्नांकित दिनाकों को जारी सीडी नं. 3 : श्री संजीव आहजा, 23, एडिशनल न्यू मण्डी, सिरसा, हरियाणा। किया था जिसमें उल्लेखित राशि उक्त सचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भगतान करने को सीडी नं. 4 : श्री वेद प्रकाश आहजा, सी-व्लॉक, न्यू मण्डी, सिरसा, हरियाणा। कहा गया था। सीडी नं. 5 : वेंक ऑफ इंडिया, वी-6/8, सफदरगंज एन्कलेव, नई दिल्ली। जेसा कि आप पीठासीन अधिकारी ऋण वसुली अधिकरण-III दिल्ली द्वारा दिनांक 13.09.2001 को वसूली प्रमाण पत्र ओए नं. 141/1999 डीआरटी-III दिल्ली मे आपके द्वारा देव रू. 4,03,82,299,53 (रूपये चार करोड़ तीन लाख वियासी हजार दो सौ निन्यान्वे और तरेपन पैसे मात्र) लागतों तथा संभावित खर्चों एवं दिनांक तस्करी की जा रही है। 22.03.1999 से प्रभावी 18.88 % वार्षिक की दर से कल वसुली होने तक व्याज के साथ व्यक्तिगत रूप से तथा संचुक्त रूप से भगतान करने में असफल रहें। और जैसा कि अद्योहस्ताक्षरी ने इस प्रमाण पत्र की संतृष्टी हेत् निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्की का आदेश दिवा है। दावा. अगर कोई है. लॉट किसी भी प्रकार के सह-मालिक के नाम के साथ बेची जाने वाली सम्पत्ति या उसके जो कि सम्पत्ति के संबंध में की किसी भाग पर भार का विवरण सम्पत्ति का विवरण जहाँ चुककर्ता और अन्य आगे आया है एवं अन्य संख्या राजस्व जिसका व्यक्ति संपत्ति के सह-मालिक है। जिसके लिए सम्पत्ति कोई ज्ञात विशिष्टियां जो मूल्यांकन किया कि इसके मूल्य एवं प्रकृति उत्तरदायी है। गया है प्रभाव रखता है। 3 उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध संपत्ति सं. एल-4/22, डीएलएफ, फेज-11, गुड़गांव, नर्ही नर्ही नर्ही हरियाणा। एतद द्वारा सचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को ई- नीलामी तथा बोली प्रक्रिया द्वारा दिनांक 30.11.2017 को ई-नीलामी द्वारा दोपश 03:00 बजे से 04:00 बजे के मध्य (नीलामी बन्द होने के 5 मिनट पहले के दौरान निविदा आती है तो स्वतः समयबद्धि वाक्य के साथ, यदि आवश्यक हो तो) बेचा जायेग वंभावित बोलीदाताओं को स्वयं को सेवा प्रदाता के साथ अग्रिम में पंजीयन करवाना होगा तथा यजर आईडी एवं पासवर्ड ई-नीलामी में भाग लेने हेत प्राप्त करना होगा यह तभी संभव रो सकता है जब प्रार्थित धरोहर राशि प्रस्ताबित प्रारूप में जमा की गई हो। बोली प्रक्रिया सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि., गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, उद्योग विहार, फेज-।।, गुइगावं, हरियाणा-122015 हैल्पलाइंन नं. +91-124-4302020/21/22/23, e-mail id: <u>support@bankeauctions.com`</u>संपर्क सुत्र: श्री विनोद मो. 9813887931 email: <u>delhi@c1india.com</u> के जरिये सम्पन्न की जायेगी। अन्य विवरण हेतु श्री संजय गुप्ता सीएच बैंक के अधिकारी, मो. 9799961244 से सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्न अनसची अनसार सम्पत्ति के लिए संलग्न दावित्वों एवं दावों को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है जो कि प्रत्येक लॉट के लिए

अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं के अनुसार होगी।

सम्पत्ति अनसची में विनिर्टिप्ट लॉट के अनसार बिक्री के लिए रखी जायेगी। यदि सम्पत्ति के किसी भाग के बेचने से वसली होने पर देय राशि की पूर्ति हो जाती है तो बिक्री शेष सम्पत्ति के सम्बंध में तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रोक दी जायेगी यदि किसी लॉट की बिक्री से पहले उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया, ब्याज, लागतों सहित (जिसमे विक्रय लागत सम्भिलित है), बिक्री आयोजित करने वाले अधिकारी को दे दी जाती है या इस संदर्भ हेतु कोई प्रमाण दिया जाता है जिससे उसकी संतृष्टी हो कि उक्त प्रमाण पत्र की राशि, व्याज एवं लागतों सहित का अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान किया जा चुका है। विक्री से सम्बन्धित कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेची जाने वाली सम्पत्ति की बिक्री के लिए निविदा, अधिग्रहण अधवा अधिग्रहण का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री आयकर अधिनियम 1961 के हितीय अनुसूची की शतों एवं उसके नियमों के तहत तथा अन्य निम्न शर्तों के अनरूप की जायेगी।

बिक्री उदघोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अद्योहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्नु अद्योहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलत क्यान बाजी अश्ववा उदघोषणा में चुक होने पर जिम्मेदार नहीं होगा।

1. आरक्षित मूल्य जिससे कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जायेग

बैंक का नाम	मांग सूचना की तारीख	मंगा सूचना के अनुसा बकाया राशि
भारतीय स्टेट बैंक	22/11/2016 (कैश क्रैडिट और बीजी के लिए)	रु. 777,90,80,685.72/- दिनांक 03.11.2016 तक
भारतीय स्टेट बैंक	22/11/2016 (कॉरपोरेट ऋण हेतु)	रु. 141,07,92,731.24/- दिनांक 03.11.2016 तक
पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अब भारतीय स्टेट बैंक)	21/09/2016	रु. 231,59,19,674.05/- दिनांक 08/06/2016 तक
पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (अब भारतीय स्टेट बैंक)	24/11/2016 (कॉरपोरेट ऋण हेतु)	रु. 19,59,76,714/- दिनांक 23/11/2016 तक
पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (अब भारतीय स्टेट बैंक)	24/11/2016 (कैश क्रैडिट के लिए)	रू. 115,56,34,707/- दिनांक 23/11/2016 तक
पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (अब भारतीय स्टेट बैंक)	16/11/2016	रु. 384,41,08,669.38/- दिनांक 31/10/2016 तक
पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (अब भारतीय स्टेट बैंक)	04/11/2016	रू. 222,58,53,063.38/- दिनांक 31/03/2016 तक
पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (अब भारतीय स्टेट बैंक)	09/01/2017 (कैश क्रैडिट के लिए)	रु. 270,14,58,206/- दिनांक 30/11/2016 तक
पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (अब भारतीय स्टेट बैंक)	09/01/2017 (कॉरपोरेट ऋण हेतु)	रु. 13,53,07,862/- दिनांक 30/11/2016 तक
कॉर्पोरेशन बैंक	25/05/2016	₹. 2,70,92,06,840.15
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	10/06/2016	₹. 122,05,05,970 + USD 1,292,597.61
पंजाब नैशनल बैंक	30/11/2016	₹.1769963314.03
इलाहाबाद बैंक	01/04/2017	₹. 565168702.00
लक्ष्मी विलास बैंक	30/03/2017	₹. 695445251.42
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	22/12/2016	रु. 211466202.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	16/12/2015	ক. 61,30,49,692
आईसीआईसीआई बैंक	22/01/2016	ক, 129039917.60 + ক, 39631768.00 + US\$ 15526880.10
इण्डियन ओवरसीज बैंक	19/11/2016	रु. 57.72 करोड़



केंद्र सरकार ने पश्चिम एशियाई देशों में निकाह के बहाने भारत से नाबालिग मुसलिम लड़कियों की कथित तौर पर तस्करी किए जाने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उचित कार्रवाई करने को कहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा इस संदर्भ में किए गए आग्रह पर संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग के सचिव/प्रधान सचिव को हाल ही में इस आशय का पत्र भेजा है। इस पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को 22 सितंबर को पत्र लिख कर यह मद्दा उठाया था कि निकाह की आड में देश के विभिन्न हिस्सों से मुसलिम महिलाओं व नाबालिग लडकियों की पश्चिम एशियाई देशों में

मंत्रालय ने कहा कि आपसे आग्रह किया जाता है कि इसका संज्ञान लें और मामले में उचित कार्रवाई करें। गृह मंत्रालय ने सीबीआइ के निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त सचिव (महिला कल्याण व साइबर अपराध) और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाडी) को भी इस पत्र की प्रति भेजी है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयुरुल हसन रिजवी ने आयोग के समक्ष आई

● केंद्र सरकार ने इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कार्रवाई करने को कहा।

शिकायतों का संज्ञान लेते हुए 22 सितंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख कर इस मामले में कार्रवाई के लिए राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों और दुसरी संबंधित एजंसियों को निर्देश देने का आग्रह किया था। रिजवी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों और दुसरी एजंसियों से कार्रवाई के लिए कहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे मामलों पर अंकश लगेगा।

वकील महमुद प्राचा ने आयोग से शिकायत की थी कि 'निकाह की आड में देश के विभिन्न भागों से मसलिम महिलाओं व नाबालिग लडकियों की ओमान, कतर और दुसरे पश्चिमी देशों में तस्करी की जा रही है, जो एक गंभीर मामला है। रिजवी ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है।

शादी के नाम पर मुसलिम लड़कियों को प्रताडित किया जाता है या बेच दिया जाता है और उनसे जबरन जिस्मफरोशी कराई जाती है। इस तरह की शिकायतें हैं कि पहले से शादीशदा ऐसे लोग कई लड़कियों से नौकरानी का काम कराते हैं। इस मामले में सख्ती से निपटने की जरूरत है, क्योंकि इससे देश की बदनामी होती है।

	8
कार्पोरेशन बैंक अप्रणी बैंक	अगले साल के
नई दिल्ली छत्तरपुर शाखा (1538) खसरा नं. 294 ⁄ 2, डी–66, भूतल, छत्तरपुर एनक्लेव, 60 फीट रोड, छत्तरपुर, नई दिल्ली–110074	अंत तक शुरू
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस	होंगी राजमार्ग
18.09.2017 को पंजीकृत डाक द्वारा निम्नलिखित को प्रेषित : 1. कर्जदार : मैसर्स ब्लिस इन्फ्राटेक प्रा. लि., 2/4, द्वितीय तल, सराय जुलेना, न्यू फ्रैन्डर्स कॉलोनी, दिल्ली—110025	परियोजनाएं
2. गारंटर्सः 1(क) श्री अज़हर अली, सी–88, चौथा तल, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली–110025	<b>जनसत्ता ब्यूरो</b> नई दिल्ली, 25 अक्तबर।

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	संपत्ति सं. एल-4/22, डीएलएफ,	रू. 3,23,00,000/-	ईएमडीः रू. 32,30,000/-
	फेज-।।, गुड़गांव, हस्यिणा।	(रूपये तीन करोड़ तैईस लाख मात्र)	(रूपये बत्तीस लाख तीस हजार मात्र)

2. राशि जिससे बोली को बढाया जायेगा रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) तथा राशि में या बोलीदाता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होते हे तो उस लॉट को उसी समय दोबारा नीलामी के लिए रख दिया जायेगा।

 किसी भी लॉट के अधिकतम बोली दाता को सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा जबकि उसके द्वारा लगाई गई बोली आरक्षित मूल्य से कम न हो। यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा कि वे उच्चतम बोली को स्वीकृत अथवा निरस्त कर दे। जब प्रस्तावित मूल्य ऐसा करने हेत् बाथ्य करता हो। 4. धरोहर राशि दिनांक 28.11.2017 तक डीडी/पे–ऑर्डर के द्वारा वसुली अधिकारी 🛿 ऋण वसुली अधिकरण Ⅲ दिल्ली के पक्ष में वसुली अधिकारी-🛮 डीआरटी

III , दिल्ली को जमा करवाया जाएगा। इसके पश्चात जमा थरोहर राशि पर ई-नीलामी 🛛 में भाग लेने हेतु विचार नही किया जाएगा। 5. पेन कार्ड, पते का साक्ष्य तथा पहचान पत्र तथा ई–मेल आईडी तथा मोबाईल नम्बर तथा घोषणा पत्र की वे स्वयं की तरफ से या किसी और की तरफ से बोली लगा खं है। पत्राचार की दशा में उन्हें अपनी अधिकृतता जमा करवानी होगी ऐसा करने में चुक होने पर वोली निरस्त कर दी जायेगी। कंपनी की दशा में कम्पनी के 🛚 बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित रिजोल्यशन या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज जो कम्पनी का प्रतिनिधित्व/ अधिकृतता की पुष्टि करता हो तथा जमा राशि की रसीद/पावती उक्त सेवा प्रदाता या सीएच बैंक के पास इं—मेल या अन्य किसी प्रकार से उक्त दिनांक तक पहुंच जानी चाहिए तथा इसकी कागजी प्रतिवसुली अधिकारी II ऋण वसुली अधिकरण III दिल्ली के समक्ष जमा करवाई जानी चाहिए।

. सफलतम बोलीदाता को उपरोक्त पेरा नं. 4 में दिये गये विवरण के अनुसार उक्त खाते में अन्तिम बोली राशि का 25% धरोहर राशि को समायोजित करने के उपरान्त अगले बेंक कार्यटिवस पर अपरान्ह 3 बजे तक जमा करवाना होगा

, क्रेता अन्तिम बोली राशि का शेष 75% बिक्री की तिथि से 15 वें दिवस को या उससे पर्व जमा करवायेगा। यदि पन्द्रज्ञवां दिवस रविवार या अन्य कोई अवकाश क दिवस है तो 15वें दिवस के बाद प्रथम बैंक कार्यदिवस पर उपरोक्त पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त क्रेता को रू. 1000/- तक 2% तथा 1000/- से अधिक उक्त राशि का 1% की दर से पाउण्डेज फीस का रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, के पक्ष में देव डीडी के द्वारा वसूली अधिकारी–II, डीआरटी III दिल्ली के समक्ष जमा करना होगा।

8. यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को पनः नई विक्रय उदघोषणा जारी करके बेच दिया जायेगा। विक्री के खच्चों को चुकाने के बार बची रकम यदि अधोहस्ताक्षरी इसे सही समझता है तो सरकार के खाते में जब्त कर ली जायेगी तथा चुक करने वाला क्रेता उस सम्पत्ति तथा उसके किसी भाग से संबंधित समस्त दावों से वंछित कर दिया जायेगा जिन्हे बाद में बेचा जा सकता है।

२. अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आवेदन करने तथा पहचान साक्ष्य प्रस्तुत करते समय असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि को उसे/उन्हें लौटा दिया जायेगा।

10. वसूली अधिकारी को किसी भी एक बोली अथवा बोलियों को स्वीकृत अथवा निरस्त या बिना कोई कारण बताये नीलामी को स्थगित अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. सम्पाल का '' <b>जहा ह जसा ह जा ह जसा ह क आधार पर</b> '' बचा जा रहा ह।	(सुजीत कुमार)
मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को जारी किया गया।	बसूली अधिकारी II डीआरटी-III दिल्ली
and the second	affen anaand II stanter-III ideen

### राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ पीठ में

कंपनी आवदेन सीए (सीएए) सं.15/चंडीगढ/हरियाणा/2017

#### कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 व 232 के मामले में और इसके अतिरिक्त के मामले में भी

कीमिया बायोसांडसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : गांव भोंडसी, तहसील सोहना, गुडगांव, हरियाणा-122102

.हस्तांतरणकर्ता कंपनी (आवेदक कंपनी-1)

लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : गांव भोंडसी, तहसील सोहना, गुड्गांव, हरियाणा-122102

हस्तांतरिती कंपनी (आवेदक कंपनी-2)

हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों (डाक बैलेट व ई-वोटिंग सहित) व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं और हस्तांतरणकर्ता कंपनी के प्रतिभूतित ऋणदाताओं व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं की बैठक के आयोजन की सुचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़, ने 11 अक्टूबर, 2017 को जारी आदेश दिनांक 26 सितंबर, 2017 (''आदेश'') अनुसार कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत कीमिया बायोसांइसेज लिमिटेड (हस्तांतरण कंपनी) और लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं (''योजना'') के बीच समामेलन के लिए प्रबंधन की योजना में सम्मिलित प्रबंधन पर विचार करने और यदि सही लगता है, संशोधन(ओं) के साथ या बिना अनुमोदन के उदे्दश्य के लिए हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं और हस्तांतरण कंपनी के प्रतिभूतित ऋणदाताओं व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं की बैठक का निर्देश दिया था।

उक्त आदेश के अनुपालन में और उसपर निर्देश अनुसार, एतदुद्वारा आगे सूचित किया जाता है कि हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों व अप्रतिभतित ऋणदाताओं और हस्तांतरण कंपनी के प्रतिभतित ऋणदाताओं व अप्रतिभतित ऋणदाताओं की उपरोक्त बैठक निम्नानसार आयोजित की जाएगी। हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं और हस्तांतरण कंपनी के प्रतिभूतित ऋणदाताओं व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं से इसमें उपस्थित होने का अनुरोध है।

क्र. सं.	बैठक का वर्ग	आवेदक कंपनी का नाम	बैठक की तिथि	समय	बैठक का स्थान	
1.	प्रतिभूतित ऋणदाता	कीमिया बायोसांइसेज़		सुबह 10.00 बजे	लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	
2.	अप्रतिभूतित ऋणदाता	लिमिटेड	ता लिमिटेड रविवार	रविवार	सुबह 11.00 बजे	गांव भोंडसी, तहसील सोहना,
3,	अप्रतिभूतित ऋणदाता	लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	26,11,2017	दोपहर 12.00 बजे	गुड़गांव, हरियाणा-122102	
4.	इक्विटी शेयरधारक			दोपहर 2.30 बजे		

उक्त योजना की प्रतियां, कंपनीज (समझौते, प्रबंधन और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230(3), 232(1) व (2) और 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण और प्रॉक्सी के फॉर्म उक्त वर्णित अनुसार आवेदक कंपनियों के पंजीकत कार्यालय या इसके कानूनी प्रतिनिधि, निगमित व्यावसायिकों, सलाहकारों और अधिवक्ताओं के कार्यालय, डी-28, साउथ एक्सटेंशन-1, नई दिल्ली-110049 से हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं और हस्तांतरण कंपनी के प्रतिभूतित ऋणदाताओं व अप्रतिभतित ऋणदाताओं द्वारा उन्हीं के लिए किए गए अनरोध पर एक (1) दिन (सभी कार्यालय दिवसों पर) निशल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के हकदार व्यक्ति स्वयं या प्रॉक्सी में वोट डाल सकते हैं। निर्धारित फॉर्म में दी गई सभी प्रॉक्सियों उपरोक्त बैठक

को शरू होन के निर्धारित समय से 48 (अडतालीस) घंटे पहले. इसके बाद नहीं, उक्त वर्णित अनुसार आवेदक कंपनियों के पंजीकत कार्यालय में जमा कराई जानी चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म आवेदक कंपनियों के पंजीकत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। एनसीएलटी ने इस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों व अपतिभतित ऋणदाताओं और इस्तांतरण कंपनी के पतिभतित ऋणदाताओं व अपतिभतित

कर्जदार(रों) / सह—कर्जदार(रों) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम – 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 4, 10, 11 **अक्टूबर, 2017** को लिया है।

कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) **का ध्यान एक्ट की धारा 13 की** उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, **के प्रभार तथा अन्य बैंक कर्न्सोटियम** सदस्य वास्ते उपरोक्तानुसार राशि और साथ में भविष्य का ब्याज, लागत एवं अन्य आकस्मिक खर्चे और अन्य प्रभार, संविदात्मक दर पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

#### अचल संपत्ति का विवरण, सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति जोकि 61/15, पंजाबी बाग(वेस्ट), क्षेत्रफल 547.22 वर्ग गज, नई दिल्ली में स्थित है, यह सम्पत्ति श्री केवल कृष्ण कुमार और श्रीमती सुनंदा कुमार के नाम पर है।

व्यवसायिक सम्पत्ति नं. जी—82, मेन रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 272 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री केवल कृष्ण कुमार के नाम पर है।

प्लॉट नं. ७, रोड नं. १० आदर्श भवन, सीएचबीएस लि., पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 166.71 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री सिद्धार्थ कुमार के नाम पर है।

सम्पत्ति खसरा नं. 85 / 18 / 1(1—16) और 85 / 19 / 3(1—11), क्षेत्रफल 5566 वर्ग गज, गाँव मुण्डका में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सिद्धार्थ कुमार के नाम पर है।

साथ में कर्जदार से सबंधित सभी वर्तमान और भविष्य की चल आस्तियां जिसमें कि सभी स्थायी आस्तियां, उपकरण, प्लांट और मशीनरी, औजार, फिक्चर फिटिंग, स्पेयर्स पार्टस, उपसाधन, कोई भी एक्रीशन, बदलाव, अन्य मर्केन्डाईज़ और जो कुछ भी चल सम्पत्तियां कर्जदार के नाम पर होंगी या है का दुष्टिबंधक और किसी भी समय संग्रह या खरीदा या कर्जदार की फैक्ट्री या परिसर या किसी अन्य ख्थान से लाया गया हों का कब्जा और अन्य किसी परिसर या स्थान, भारत में कहीं भी

दिनांक : 11.10.2017, स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

।(ख) श्रीमती सना अली पत्नी श्री अज़हर अली, सी–88, चौथा तल, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली–110025

विषयः कार्पोरेशन बैंक, छत्तरपुर शाखा का ऋण खाता सं. CMTCC/01/130004 और CVEHI/01/130055

उधारकर्ता (क्रमांक 1) ने दिनांक 31.08.2017 तक बकाया राशि रू. 1,25,27,395/- (रु. एक करोड़ पच्चीस लाख सत्ताईस हजार तीन सौ पिचानवे मात्र) तथा 01.09.2017 से भुगतान की तिथि तक व इससे आगें सहमत दर पर ब्याज, चुकाने में चूक की है। उसके / उनके द्वारा प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधाएं दिनांक 31.03.2017 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा चुकी हैं बैंक ने दिनांक 18.09.2017 को अधिनियम के तहत सूचना जारी की है, जिसमें उनसे 31.08.2017 तक बकाया राशि रू. 1,25,27,395/- चुकाने की मांग की गई है। यह सूचना पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई थी।

उधारकर्ताओं तथा गारंटरों से रू. 1,25,27,395/- की राशि, दिनांक 01-09-2017 से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित, इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, बैंक यहां नीचे तालिका में दी गई प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित प्रवर्तन के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के निबन्धनों में आप यह सूचना प्राप्त होने के बाद, बैंक की पूर्व सहमति के बिना, उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे।

#### अनुसुची

जिन आस्तियों में प्रतिभूति हित सजित किया गया है, उनका विशिष्ट विवरण यहां नीचे दिय गया है :

#### अचल बंधक सम्पत्तियों का विवरणः

. खाली प्लॉट सं. 41, 42, 43, 44 खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 334.44 वर्ग मी., गाँव दुहाई के अंतर्गत, गाजियाबाद में स्थित है, जोकि बुक नं.1, जिल्द नं. 5721 पेज नं. 59 से 114. दस्तावेज नं. 4233 दिनांकित 11.04.2012, सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यू.पी में पंजीकत।

2. खाली प्लॉट सं. 39, 40 खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मी., गाँव दुहाई के अंतर्गत गाजियाबाद में स्थित है, जोकि बुक नं.1, जिल्द नं. 6528 पेज नं. 397 से 432, दस्तावेज नं 16367 दिनांकित 05.12.2012, सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यू.पी में पंजीकृत |

3. खाली प्लॉट सं. 35, 36, 37, 38 खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 278.83 वर्ग मी., गाँव दुहाई के अंतर्गत, गाजियाबाद में स्थित है, जोकि बुक नं. 1, जिल्द नं. 6767 पेज नं. 183 से 236, दस्तावेज नं. 2314 दिनांकित 14.02.2013, सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यु.पी मे पंजीकृत ।

4. खाली प्लॉट सं. 17, 28, 29, 45, 46 खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 418.05 वर्ग मी., गाँव दुहाई के अंतर्गत, गाजियाबाद में स्थित है, जोकि बुक नं.1, जिल्द नं. 5462 पेज नं. 153 से 214 दस्तावेज नं. 803 दिनांकित 23.01.2012, सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यू.पी में पंजीकृत ।

#### दुष्टिबंधक चल सम्पत्ति का विवरण

दुष्टिबंधक FREELANDER SE 2.2L Diesel (car)

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक दिनांक : 24.10.2017, स्थान : नई दिल्ली

Ý VIJAYA BANK शाखाः मोदीनगर मॉग नोहिस ावजया बक (A Govt of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम) प्रतिभूतिकरण व वित्तीय अस्तियों का पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के पाठ-III उप धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस ऋणी का नाम व पता (1)मैसर्स चौधरी मनोज सीड्स फार्मस(ऋणकर्ता) गाटा नं० 08,11 और 14 गॉव बसंतपुर, पोस्ट–दल्लेपुर परगना एंव तहसील–पोवायान जिला–शाँहजानपुर,उत्तर–प्रदेश पिन–242001 पार्टनरः(1) श्री मनोज कुमार सिरोही पुत्र श्री ओमपाल सिंह सिरोही निवासी–13, गॉव–सादकपुर पार्टनर का नाम तहसील–हापुड़ जिला–हापुड़ उत्तर–प्रदेश पिन–245101 व पता पार्टनरः(2) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी—मकान सं0 165, चक्की मौहल्ला पूर्व दक्षिण दादायारा, पोस्ट–हापुड़ देहात तहसील–हापुड़, जिला–हापुड़, उत्तर–प्रदेश पिन–245101 (1) श्री ओमपाल सिंह सिरोही पुत्र श्री हरभजन(गारंटर) निवासी–13,गॉव–सादकपुर, गारंटर का नाम तहसील–हापुङ्, जिला–हापुङ्, उत्तर–प्रदेश पिन–245101 व पता (2) श्री रामपाल सिंह पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी-मकान सं0 165, चक्की मौहल्ला पूर्व दक्षिण दादायारा, पोस्ट–हापुड़ देहात तहसील–हापुड़, जिला–हापुड़, उत्तर–प्रदेश पिन–245101 (3) श्री गौरव कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी-मकान सं0 165, चक्की मौहल्ला पूर्व दक्षिण दादायारा, पोस्ट–हापुड़ देहात तहसील–हापुड़, जिला–हापुड़, उत्तर–प्रदेश पिन–245101

नइ दिल्ला, ४० अपतूषर ।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महत्त्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत आठ लाख करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाएं अगले साल के अंत तक शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राजमार्ग कार्यक्रम 'पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त' होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की अवधारणा को साकार करेगा। उन्होंने दावा किया कि नए राजमार्गों के निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जिस जोरदार तरीके से ध्यान दिया जा रहा है उससे पांच साल में राजमार्ग और जहाजरानी क्षेत्र में 25 लाख करोड रुपए के कार्य के लक्ष्य को पाया जा सकेगा। इससे एक करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में दो से तीन प्रतिशत का योगदान करेगा। उन्होंने कहा कि इससे देश की तस्वीर बदल जाएगी।

गडकरी ने भारतमाला परियोजना को लेकर बुधवार को कहा कि सरकार ने मंगलवार को जिन परियोजनाओं की घोषणा की है उनमें से ज्यादातर दिसंबर, 2018 तक शुरू कर दी जाएंगी। भारतमाला सहित यह देश का सबसे बडा बनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इससे देश में मौजूदा छह राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को मिला कर ऐसे कुल 50 गलियारे हो जाएंगे।'

वाम दल्भी
एकजुट होकर
आठ को मनाएंगे
काला दिवस

ऋणदाताओं की उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी, श्री अनमोल प्रताप सिंह मान, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में श्री विकास गर्ग, कंपनी सचिव को जांचकतां के रूप में नियुक्त किया है। यदि उपरोक्त बैठकों में योजना अनुमोदित होती है तो वह एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन का विषय होगा।

हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को एतदुद्वारा आगे सुचित किया जाता है कि :

- 1. हस्तांतरिती कंपनी ने योजना पर विचार और अनुमोदन के लिए कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम 20 व नियम 22 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 व 110 और कंपनीज अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, सेबी सर्कुलर सं. CIR/CFD/CMD/16/2015 दिनांक 30 नंवबर, 2015, सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में और कंपनी आवेदन सीए(सीएए) सं. 15/चंडींगढ़/हरियाणा/2017 पर माननीय एनसीएलटी आदेश दिनांक 26 सितंबर, 2017 के तहत निर्देशानुसार इक्विटी शेयरधारकों को सक्षम करने के लिए पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। हस्तांतरण कंपनी व हस्तांतरिती कंपनी को बैठक के स्थान पर बैलेट या पोलिंग पेपर की सुविधा भी प्रदान की गई है। हस्तांतरिती कंपनी ई–वोटिंग सेवाओं की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाओं में शामिल है।
- पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग या ई-वोटिंग या बैठक के स्थान पर वोटिंग के लिए इक्विटी शेयरधारकों की योग्यता को निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि शुक्रवार, 20 अक्टूबर, 2017 है। कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्जे नाम वाले व्यक्ति ही वोटिंग के हकदार होंगे। कट-ऑफ तिथि तक इस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारक न होने व्यक्ति इस सचना को केवल जानकारी के रूप में देखें।
- मोननीय एनसीएलटी के आदेशानुसार, बैठक के स्थान पर वोटिंग के लिए इस्तांतरिती कंपनी के अप्रतिभूतित ऋणदाताओं और इस्तांतरण कंपनी के प्रतिभतित ऋणदाताओं व अप्रतिभतित ऋणदाताओं की योग्यता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 30 जन, 2017 है।
- इक्विटी शेयरधारकों द्वारा पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग की शुरुआत शुक्रवार, 27 अक्टूबर, 2017 को सुबह 9.00 बजे होगी और शनिवार, 25 नवंबर, 2017 को शाम 5,00 बजे बंद होगी।
- विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फॉर्म शनिवार, 25 नवंबर, 2017 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले जांचकर्ता तक पहुंच जाने चाहिए। शनिवार, 25 नवंबर, 2017 को शाम 5.00 वजे के बाद प्राप्त किसी पोस्टल बैलेट फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यवहार किया जाएगा जैसे इक्विटी शेयरधारकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त ई-वोटिंग मॉड्यूल शनिवार, 25 नवंबर, 2017 को शाम 5.00 बजे वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे।
- हस्तांतरिती कंपनी 26 अक्टूबर, 2017 को कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 20 अक्टूबर, 2017 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले इक्विटी शेयरधारकों को अन्य के बीच निर्देशों और स्व-पते पोस्टेज प्रीपेंड बिजनेस उत्तर लिफाफे सहित पोस्टल बैलेट के साथ सूचना का प्रेषण पुरा कर लेगी।
- पोंस्टल बैलेट फॉर्म प्राप्त न करने वाले इक्विटी शेयरधारक हस्तांतरिती कंपनी की वेबसाइट www.laurel.co.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या उक्त वर्णित अनुसार हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट प्राप्त कर सकते हैं।
- · वोटिंग अवधि के दौरान, इक्विटी शेयरधारक वोटिंग के लिए केवल एक प्रकार अर्थात पोस्टल बैलेट या ई–वोटिंग अपना सकते हैं। यदि इक्विटी शेयरधारक दोनों तरीकों अर्थात पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालते हैं तो ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोट को मान्यता दी जाएगी। पोस्टल बैलेट या ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने इक्विटी शेयरधारक बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। इक्विटी शेयरधारक द्वारा एक बार वोट डाले जाने पर, उसे उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनमति नहीं दी जाएगी।
- पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग निर्देश सहित सचना कंपनी की वेबसाइट www.laurel.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट 10. www.evoting.nsdl.com. पर भी उपलब्ध है।
- 11. पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ/शिकायत के मामले में, गांव भोंडसी, तहसील-सोहना, जिला गडगांव हरियाणा-122102 में हस्तातौरेती कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री प्रतिभा आनंद को संबोधित किया जा सकता है या कंपनी सचिव से ई-मेल द्वारा laurelorganicslimited@gmail.com फोन - टेली: 011-47063600 पर संपर्क किया जा सकता है। किसी अन्य पूछताछ के मामले में, आप सदस्यों के लिए त्वरित पूछे जाने प्रश्न (एफक्यूज) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टॉल फ्री नं. : 1800-222-990 पर कॉल करें।

	640I./-
दिनांक : 26 अक्टूबर, 2017	जस्टिस (रिटायर्ड) ए.एन. जिंदल, अधिकरण के लिए अध्यक्ष
स्थान : गुड़गांव	संचालित बैठक

#### विषयःविजया बैंक द्वारा आपको स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता – मूलधन, ब्याज आदि की किस्त के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक

हमने अर्थात विजया बैंक ने दिनांक 05.10.2017 को आपके द्वारा दिए गए पते पर माँग नोटिस भेजा। परंतु दिए गए पते पर आपके न मिलने पर, नोटिस आपको तामील नहीं कराया जा सका। उक्त नोटिस का विवरण निम्न प्रकार से है :

हम **विजया बैंक मोदीनगर** शाखा ने नं.1, नं. 2 और नं. 3 को आपकी प्रार्थना पर बैंक के पक्ष में निष्पादित एग्रीमेंट और दस्तावेजों में निहित शर्तों पर विभिन्न वित्तीय सहायता / ऋण सुविधाएं दी हैं। उक्त ऋण सुविधाओं और आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया धनराशि का विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है। उक्त वित्तीय सहायता के लिए आप नं.−1 और नं.−2 और नं.3 ने सिक्योरिटी के रूप में अपनी चल संपत्ति को दृष्टिबंधक / अचल संपत्ति को बंधक बनाते हुए आवश्यक सिक्योरिटी दस्तावेजों / एग्रीमेंट के माध्यम से बैंक के पक्ष में निष्पादित करके बंधक किया है। अनुलग्नक—II में संपत्ति के विवरण नीचे दिए गए हैं : उक्त वित्तीय सहायता / ऋण सुविधाओं वाले खातों का संचालन अनियमित हो गया है, क्योंकि उधारकर्ता नं.1, नं. 2 और नं. 3 ने ऋण और ब्याज की अदायगी में अनियमितता की है इसीलिए आपके ऋण को विजया बैंक ने 28.09.2017 को अनार्जक परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) में वर्गीकृत कर दिया है ।

फाइनेंशियल एसेट्रस एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (आगे से इसे 'उक्त अधिनियम' कहा जाएगा) के सिक्योरिटाइजेशन और रिकंसट्रक्शन की धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हए विजया बैंक घोषित करता है कि आप पर दिनांक 28.09.2017 को रू. 40,51,179.43 (वालीस लाख इक्यावन हजार एक सौ उनासी रूपये तितालीस पैसे मात्र) की राशि की देयताएं तुरंत देय हो गई हैं और आपको ये धनराशि संयुक्त रूप से और अलग–अलग इस नोटिस के मिलने के 60 दिनों के भीतर निर्धारित ब्याज के साथ विजया बैंक को चुकाना होगा और साथ ही दिनांक 28.09.2017 से ब्याज कॉन्ट्रेक्च्यूअल मूल्य पर और अन्य खर्चे भी भूगतान होने तक देना होगा

उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) की शर्तों के अनुसार आप नोटिस में रेफर्ड सिक्योर्ड संपत्तियों को विजया बैंक की सहमति के बिना न तो बेच सकते हैं और न ही किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकते हैं (अपने सामान्य कारोबार के अतिरिक्त) । उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) की शर्तों पर जारी किया गया है। अनलग्नकः । अनुलग्नकः ॥

Ят	୯	••	ep:	
	-			-

क्र.	सुविधा का	स्वीकृत धनराशि	दिनांक 28.09.2017 को आपके द्वारा भुगतान
स.	प्रकार	रू०	की जाने वाली बकाया धनराशि' रू.
1.	ट्रम लोन 712909281000008	रू 45,00,000.00	रू. 40,30,636.43 / — प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे

\*दिनांक 28.09.2017 तक व्याज सम्मलित

(ऋणी / तृतीय पक्ष बंधक कर्ता / गारंटर के द्वारा बंधक रखी गयी सम्पत्तियों का विवरण)

सम्पत्तिः–1

औद्योगिक भूमि और इमारत खसरा नं / गाटा नं 11 और 14 गांव– बसंतपुर, पोस्ट–दल्लेपुर परगना और तहसील –पोवायान, जिला– शाहजहांपुर, यू.पी.

क्षेत्रफल 4050 वर्ग मीटर कुल माप जिसका निर्मित एरिया 1783.94 वर्ग मीटर (भूमि तल कार्यालयः 65.84 वर्ग मीटर, जीएफ गोदाम 1497.54 वर्ग मीटर एफएफ कार्यालयः 65.84 वर्ग मीटर, बाहरी सीमा 154.72) सम्पत्ति स्वामी श्री मोनू कुमार और गौरव कुमार के नाम है सीमाएं (गाटा नं 11 व 14) पूर्व : श्री भाई लाल और अन्य की कृषि भूमि, पश्चिमः श्री सुखजीत सिंह, श्री भाई लाल और अन्य की कृषि भूमि ,उत्तरः श्री सुखजीत सिंह और अन्य की कृषि भूमि के बाद 20 फीट चौड़ा प्राइवेट रास्ता ,दक्षिणः श्री सुखजीत सिंह अी भाई लाल और अन्य की कृषि भूमि

सम्पत्ति:-2

प्लॉट का खसारा न0 / गाटा नं 8 गांव— बसंतपुर, पोस्ट— दल्लेपुर परगना और तहसील—पोवायान, जिला— शाहजहांपुर, यू.पी. क्षेत्रफल 11.60 वर्ग मीटर सम्पत्ति स्वामी श्री मोनू कुमार और गौरव कुमार के नाम है। सीमाये पूर्वः पोवायान बंदा रोड, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा पुराना रास्ता गाटा न 8 से गाटा न 11 और 14 तक ,उत्तरः विक्रेता के आराजी, **दक्षिणः** विक्रेता के आराजी।

दिनांक-25.10.2017

स्थान- मोदीनगर

हुए नुकसान की तस्वीर देश के समक्ष पेश की जाएगी। प्राधिकत अधिकारी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली 25 अक्तूबर।

आगामी आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा का एक साल पुरा होने पर सभी वामदल एकजुट होकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

माकपा और भाकपा सहित सभी छह वामदलों की बुधवार को यहां हुई बैठक में नोटबंदी से अर्थव्यवस्था और आम आदमी की परेशानियां बढने की वास्तविकता को देश भर में उजागर करने का फैसला किया गया। वामदलों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक नोटबंदी से व्यापक पैमाने पर हए नुकसान का हवाला देते हुए आठ नवंबर को देश भर में विरोध दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। इस दिन सभी वामदल और इनके आनुषंगिक संगठन मोदी सरकार की जनविरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बीच